भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद, आदि। वगैरह।

बनाम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य

17 जनवरी 1995

[ए.एम. अहमदी, सीजे, एस. मोहन और के.एस. परिपूर्णन, जे.जे.]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961-धारा 24 एवं 49(1)-बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम-नियम 9-वकील के रूप में नामांकन की वैधता-45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित-क्या नियम-9 वैध है-माना गया, -नही- अधिनियम की अधिकारिता के बाहर होने के कारण नियम हटाया गया -नियम भेदभावपूर्ण है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम-नियम व वैधता-45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों के अधिवक्ता के रूप में प्रवेश वर्जित-क्या नियम 9 उचित है-माना-नही- नियम समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के भाग VI के अध्याय 111 में 22 अगस्त, 1993 के संकल्प संख्या 64/93 द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जोड़े गए नियम 9 की वैधानिकता और वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की गईं। नए जोड़े गए नियम ने उन व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिन्होंने वकील के रूप में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, उन्हें संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा नामांकित होने से रोक दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नियम को संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के साथ असंगत बताते हुए चुनौती दी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तर्क दिया कि उसने अधिनियम और संविधान के ढांचे के भीतर सद्भावना से काम किया है। इसके अनुसार एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार है जिसे हमेशा वापस लिया जा सकता है और किसी भी मामले में उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह आरोप लगाया गया था कि नए जोड़े गए नियम द्वारा लगाया गया प्रतिबंध एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए था और इसे कभी भी अनुचित, संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। चूंकि कानूनी पेशे को क्षय और गिरावट से बचाने के लिए ऊपरी आयु सीमा तय की गई थी, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद-21 और 14 के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार एक व्यक्ति जिसने पहले ही अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष किसी अन्य पेशे या व्यवसाय को अपनाने में बिता दिए हों, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास सेवा उन्मुख पेशेवर की सही

योग्यता है और उनसे पेशेवर आचरण के उच्च मानक बनाए रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह प्रस्तुत किया गया था कि जो व्यक्ति विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त होते हैं, जब कानूनी पेशे में भर्ती होते हैं, तो वे मामलों की पैरवी के लिए अपने पहले के संपर्कों का उपयोग करते हैं और इस तरह का व्यवहार पेशे पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति पेशे के ऊंचे आदर्शों से प्रेरित नहीं होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना होता है जिसके लिए वे किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार होते हैं।

इस न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए

अभीनिर्धारितः 1.1. अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24, नामांकन के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष पूर्ण निर्धारित करती है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि पेशे में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु निर्धारित की जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा नियम बनाने का अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं है। [314-एच, 316-बी]

1.2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 9 के तहत नामांकन के लिए आवेदन की तिथि पर 45 वर्ष पूरे कर चुके लोगों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की गई है। नियम नामांकन-पूर्व चरण में लागू होता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 49(1) के खंड (एएच) का आश्रय प्राप्त नहीं

हो सकता है। उक्त खंड के तहत एक वकील के प्रैक्टिस करने के अधिकार को प्रभावित करने वाली शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। लेकिन यह पेशे में प्रवेश के लिए शर्तें निर्धारित करने की अनुमित नहीं देता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 49(1) का खंड (एएच) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को वकील के रूप में नामांकन से प्रतिबंधित करने वाला नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए, विवादित नियम उक्त प्रावधान के दायरे से बाहर है। [315-एफ-जी]

- 1.3. व्यक्तियों को उनके रोल में वकील के रूप में स्वीकार करना या उनके नाम को रोल से हटाना राज्य बार काउंसिल के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। अधिवक्ताओं के प्रवेश और नामांकन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है जो अधिवक्ताओं के रूप में 45 वर्ष पूरे कर चुके लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। न ही किसी स्टेट बार काउंसिल ने ऐसा कोई नियम बनाया है | [317-जी]
- 1.4. इस व्याख्या को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग अधिनियम की धारा 49(1) के खंड (एजी) के दायरे में एक वर्ग का गठन करते हैं तािक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उनके प्रवेश पर रोक लगाने की अनुमित मिल सके। नियम बनाने की आड़ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वस्तुतः अधिनियम की धारा 24 मे अतिरिक्त खंड पेश कर रहा है जो ऊपरी आयु सीमा पूर्ण 45 वर्ष

निर्धारित करता है या अयोग्यता निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 24A में एक अतिरिक्त खंड सिम्मिलित कर रहा है। इसलिए, विवादित नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम बनाने की शिक्त से परे है और इसलिए, अधिनियम के दायरे से बाहर है। [318-ई-एच]

1.5. बताए गए नियम का तर्क विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त लोगों को बाहर रखकर पेशे की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना है क्योंकि वकील के रूप में नामांकित होने पर वे मामलों की पैरवी के लिए अपने पिछले संपर्कों का उपयोग करते हैं और इस तरह इससे पेशे की बदनामी होती है और इस पेशे में नए प्रवेश करने वाले युवाओं के दिमाग भी प्रदूषित होते हैं। इस प्रकार नियम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए पेशे के दरवाजे बंद करना है जो 45 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेशे में प्रवेश चाहते हैं। सबसे पहले, इस अनुमान के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सांख्यिकीय या अन्य सामग्री नहीं रखी गई है कि पूर्व-सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी या उनके जैसे लोग पेशे में प्रवेश करने के बाद उल्लिखित प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में शामिल होते हैं। दूसरे, यह नियम केवल ऐसे व्यक्तियों को ही पेशे में प्रवेश से नहीं रोकता है, बल्कि वे लोग भी, जिन्होंने नामांकन की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तीसरे, जो लोग युवावस्था में ही वकील के रूप में नामांकित हो गए थे और बाद

में उन्होंने किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी या इसी तरह के संस्थान में क्छ नौकरी कर ली थी और सनद को स्थगित कर दिया था, उन्हें 45 वर्ष पूरे करने के बाद भी अपनी सनद को पुनर्जीवित करने से नहीं रोका गया है। बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो शुरू में इस पेशे में आए थे लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी कर ली या किसी अन्य लाभकारी व्यवसाय में प्रवेश कर लिया, जो 45 वर्ष की आयु पार करने के बाद बाद की तारीख की पूर्व संध्या पर अभ्यास में वापस आ गए और आक्षेपित नियम के तहत उन्हे अभ्यास करने से रोका नहीं गया है। इसलिए, सबसे पहले तो उस तर्क के समर्थन में कोई भरोसेमंद सामग्री नहीं है जिस पर नियम स्थापित किया गया है और दूसरे यह नियम भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह 45 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्तियों के एक समूह को नामांकन से वंचित करता है जबिक दूसरे को अनुमति देता है 45 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी अभ्यास को पुनर्जीवित करने और जारी रखने के लिए समूह। इसलिए, नियम स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। तीसरा, यह अतार्किक और मनमाना है क्योंकि 45 वर्ष की आयु का चुनाव केवल एक निश्चित समूह को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और अन्य बहुसंख्यकों की अनदेखी की जाती है वे व्यक्ति जो सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवा में थे किसी भी समय ऐसी समान संस्था मे। इस प्रकार, आक्षेपित नियम संविधान के अन्च्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः रिट याचिका (सी) संख्या 786/1993 आदि।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।)

वी.आर. रेड्डी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राजिंदर सच्चर, सोली जे. सोराबजी, जी.वी. अय्यर, ए.के. गांगुली, आर.पी. भट्ट, वी.एन. गणपुले, संजय पारिख, बी.पी. सिंह, आर.के. करंजावाला, माणिक करंजावाला, दर्शना भोगीलाल, नंदिनी गोरे, रूबी आहूजा, डी.ए. डेव, एन. सीरवई, सी.एन. श्री कुमार, सी. रिवचंद्रन अय्यर, रानी छाबड़ा, सुश्री. किरण सूरी, पी. परमेस- वारन, आर.पी. श्रीवास्तव, एच.ए. रायकुरा, यू.ए. गगराट एंड कंपनी के लिए राणा, राजीव त्यागी, आनंद प्रसाद, मोहिंदर रूपल, आर. मोहन, आर. नेदुमारन, वी.जी. प्रगासम, आर.बी. मिश्रा, वी.बी. जोशी और बी.पी. उपस्थित पक्षों के लिए सिंह।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अहमदी, सी.जे. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संकल्प संख्या 64/93 दिनांक 22 अगस्त, 1993 द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के भाग VI के अध्याय III में नियम 9 जोड़ा, जिसका संकल्प 25 सितंबर, 1993 को राजपत्रित किया गया था। उक्त नया जोड़ा गया नियम निम्नानुसार पढ़ता है:

"एक व्यक्ति जिसने राज्य बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन के लिए अपना आवेदन जमा करने की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।"

देश के सभी राज्य बार काउंसिलों को उक्त नियम के सिम्मलन के बारे में विधिवत सूचित किया गया था। याचिकाओं के इस बैच में उक्त नियम की वैधानिकता और वैधता पर सवाल उठाया गया है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के साथ असंगत है।

अधिनियम 19 मई, 1961 से लागू हुआ। अधिनियम का शब्दकोष धारा 2 में पाया जाता है, खंड (ए) एक वकील को अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी रोल में दर्ज व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और खंड (के) के अनुसार 'रोल' शब्द का अर्थ है अधिवक्ताओं का रोल जिसे अधिनियम के तहत तैयार और रखरखाव किया गया है । धारा 3 वह प्रदान करती है प्रत्येक राज्य के लिए एक बार काउंसिल होगी जिसे बार के नाम से जाना जाएगा. अगली धारा 4 में बार काउंसिल का प्रावधान है

जिन क्षेत्रों पर अधिनियम का विस्तार होता है, उन्हें भारत बार काउंसिल के रूप में जाना जाता है । राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य क्रमशः धारा 6 और 7 में निर्धारित किए गए हैं। राज्य बार काउंसिल के कार्यों में अपने रोल पर अधिवक्ताओं के रूप में व्यक्तियों को प्रवेश देना. ऐसे रोल की तैयारी और रखरखाव करना. अपने रोल पर अधिवक्ताओं के अधिकारों. विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना और उपरोक्त के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी चीजें करना शामिल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करना और उनके अधिकारों. विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना शामिल है। अध्याय ॥ जो 'अधिवक्ताओं के प्रवेश और नामांकन' से संबंधित है, में धारा 16 से 28 शामिल हैं। धारा 16 में प्रावधान है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताः धारा 17 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं की एक सूची कैसे तैयार करेगी और उसका रखरखाव कैसे करेगी: धारा 18 एक वकील के नाम को एक राज्य रोल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से संबंधित है; धारा 19 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल को अधिवक्ताओं के रोल की एक प्रति बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजने का आदेश देती है; धारा 20 प्रत्येक वकील के नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करती है जो राज्य बार काउंसिल के रोल

में नियुक्ति दिवस से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का हकदार था; धारा 21 वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है; धारा 22 नामांकन प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान करती है और धारा 23 भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आदि को पूर्व-दर्शक का अधिकार प्रदान करती है। धारा 24 उस सीमा तक, जहां तक यह हमारे लिए प्रासंगिक है:निम्नानुसार

"24. वे व्यक्ति जिन्हें राज्य सूची में वकील के रूप में भर्ती किया जा सकता है - (1) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, कोई व्यक्ति राज्य सूची में वकील के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य होगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-

- (ए) वह भारत का नागरिक है;
- (बी) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(सी) उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की है।

धारा 24 ए में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को प्रावधान में दर्शाई गई अवधि के लिए राज्य सूची में वकील के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा, यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या यदि उसे किसी अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी आरोप में राज्य के तहत रोजगार या कार्यालय से बर्खास्त या हटा दिया गया हो; धारा 25 उस प्राधिकारी को इंगित करती है जिसके पास नामांकन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं; धारा 26 ऐसे आवेदनों के निपटान का प्रावधान करती है; धारा 26ए राज्य बार काउंसिल को अपने रोल से किसी भी नाम को हटाने की शक्ति प्रदान करती है; धारा 27 में प्रावधान है कि जहां एक राज्य बार काउंसिल ने वकील के रूप में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, कोई अन्य राज्य बार काउंसिल पूर्व की सहमति अपने रोल पर प्रवेश के लिए उसके आवेदन पर विचार नहीं करेगी। बिना उस राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति के और धारा 28 राज्य बार काउंसिल को अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान

करती है. जो विशेष रूप से. अन्य बातों के साथ-साथ उन शर्तों का प्रावधान कर सकती है जिनके अधीन किसी व्यक्ति को वकील के रूप में भर्ती किया जा सकता है। अध्याय IV 'अभ्यास के अधिकार' से संबंधित है। धारा 29 कहती है कि अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, नियत दिन से, व्यक्तियों का केवल एक वर्ग ही कानून के पेशे का अभ्यास करने का हकदार होगा, अर्थात वकील। धारा 30 के अनुसार प्रत्येक वकील जिसका नाम राज्य सूची में दर्ज है, वह उन सभी क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के अधिकार का हकदार होगा जहां अधिनियम का विस्तार भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी अदालतों में. किसी भी ट्रिब्यूनल या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष किया जाता है। और किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष. जिसके समक्ष ऐसा वकील, उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत, प्रैक्टिस करने का हकदार है। धारा 33 में आगे प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति. नियत दिन पर या उसके बाद, किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में नामांकित न हो। अध्याय V 'अधिवक्ताओं के आचरण' से संबंधित है। धारा 35 के तहत जहां शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य बार काउंसिल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके रोल पर कोई भी वकील पेशेवर या

अन्य कदाचार का दोषी है, वह मामले को अपनी अनुशासनात्मक समिति को निपटान के लिए संदर्भित करेगा। धारा 37 में राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील करने का प्रावधान है। धारा 36 में प्रावधान है कि जहां शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी वकील जिसका नाम किसी भी राज्य सूची में दर्ज नहीं है, पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है, तो वह मामले को संदर्भित करेगा। अनुशासनात्मक समिति धारा 36 या 37 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा अधिनियम 38 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अनुशासन समिति की शक्तियाँ धारा 42 में वर्णित है। अध्याय VI 'विविध' मामलों से संबंधित है। हम धारा 49 से चिंतित हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (एजी) और (एएच) अन्य बातों के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने का अधिकार देते हैं (i) अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को निर्धारित करना और (ii) उन शर्तों को निर्धारित करना जिनके अधीन एक वकील को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और वे परिस्थितियाँ

जिनके तहत किसी व्यक्ति को अदालत में वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए समझा जाएगा। संक्षेप में, ये अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान हैं जिनका नियमों के भाग VI के अध्याय III में नए जोड़े गए नियम 9 की वैधता और वैधता के प्रश्न पर असर पड़ता है।

उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि जब तक किसी व्यक्ति को राज्य बार काउंसिल द्वारा एक वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जाता है, तब तक उसे कानून की अदालत में या किसी अन्य न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एक बार जब कोई व्यक्ति नामांकन के लिए धारा 24 की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो वह एक वकील के रूप में नामांकित होने का हकदार हो जाता है और इस तरह के नामांकन पर उसे ऊपर बताए अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने का अधिकार प्राप्त करने के बाद उस पर इस महान पेशे के सदस्य के रूप में अपने आचरण के संबंध में कुछ दायित्व आ जाते हैं। बार काउंसिलों को पेशेवर आचरण के प्रहरी के रूप में कार्य करने का कर्तव्य सौंपा गया है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पेशे की गरिमा और पवित्रता किसी भी तरह से कम न हो। इसका काम पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखना है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सार्वजनिक कर्तव्य है, अर्थात् यह सुनिश्वित करना कि

अधिनियम के तहत दिए गए अभ्यास के एकाधिकार का द्रुपयोग या द्रूपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जो एक वकील के रूप में नामांकित है। बार काउंसिल का गठन राज्य स्तर के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर भी किया गया है ताकि न केवल अपने सदस्यों के अधिकारों, हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा की जा सके, बल्कि उच्च और महान परंपराओं को बनाए रखने को सुनिश्चित करके मुकदमा करने वाली जनता की रक्षा भी की जा सके। पेशे की पवित्रता और गरिमा खतरे में नहीं है। आम तौर पर यह माना जाता है कि कानूनी पेशे के सदस्यों के कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, उदाहरण के लिए, गरीबों और वंचितों को 'प्रो बोनो पब्लिको' सेवा प्रदान करना। चूँकि एक वकील का कर्तव्य न्याय प्रशासन में अदालत की सहायता करना है, कानून का अभ्यास सार्वजनिक उपयोगिता का है और इसलिए, उसे इस महान पेशे के अनुरूप आचार संहिता का सख्ती और ईमानदारी से पालन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होना जिससे समाज में पेशे की छवि खराब हो सकती है । इसीलिए बार काउंसिल के कार्यों में शिलान्यास भी शामिल है पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को गिराने की वकालत की जाती है पेशे की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए इसका पालन करना चाहिए।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से यह तर्क दिया गया कि पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम, इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आवश्यक कार्यों को उजागर करने के अलावा, इसे लागू करने का प्रावधान करता है और यदि आवश्यक हो, तो कदाचार के लिए पेशे के सदस्यों को दंडित करने के लिए अन्शासनात्मक अधिकारियों की स्थापना करता है। सजा में प्रैक्टिस से निलंबन के साथ-साथ अधिवक्ताओं के रोल से नाम हटाना भी शामिल हो सकता है। धारा 49(1) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़ने पर धारा 49(1)(एजी) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को इंगित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करती है जिन्हें अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है, शक्ति में कुछ परिस्थितियों में नामांकन से इनकार करने की शक्ति शामिल होगी । पेशे की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने और गलती करने वाले सदस्यों को दंडित करने का दायित्व यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से पेशे में प्रवेश को विनियमित करने की शक्ति रखता है कि केवल पेशे-उन्मुख और सेवा-उन्मुख लोग बार में शामिल हों और जो नहीं तो उन्हे बाहर रखा जाता है । वकील ने प्रस्तुत

किया कि एक व्यक्ति जिसने पहले से ही अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष किसी अन्य पेशे या व्यवसाय को अपनाने में बिताए हैं, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास सेवा-उन्मुख पेशेवर का सही रवैया है और उससे पेशेवर आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी-बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अन्सार, जो व्यक्ति विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य संस्थानों से सेवानिवृत होते हैं, जब कानूनी पेशे में भर्ती होते हैं, तो वे मामलों की पैरवी के लिए अपने पहले के संपर्कों का उपयोग करते हैं; ऐसा आचरण जो पेशे के एक सदस्य द्वारा बनाए रखने की अपेक्षा की जाने वाली पेशेवर नैतिकता के मानक को नीचे लाता है और पेशे में नए प्रवेशकों के दिमाग पर बह्त प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह कहना कोई जवाब नहीं है कि बार के सदस्य से अपेक्षित आचरण के मानक से विचलन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन के सभी मामले बार काउंसिल और व्यवहार के ध्यान में नहीं आते हैं और व्यवहार पेशे पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। पेशेवर नैतिकता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करके कानूनी पेशे में प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाला नियम बनाने के लिए मजबूर किया गया है । बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तर्क है कि उसने अधिनियम और संविधान के

ढांचे के भीतर ईमानदारी से काम किया है। इसके अनुसार एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार है जिसे को हमेशा वापस लिया जा सकता है और किसी भी मामले में उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, भले ही वह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत एक मौलिक अधिकार हो। नए जोड़े गए नियम द्वारा लगाया गया प्रतिबंध एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है और इसे कभी भी अन्चित, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। बार काउंसिल का तर्क है कि चूंकि कानूनी पेशे को क्षय और गिरावट से बचाने के लिए ऊपरी आयु सीमा तय की गई है, इसलिए यह समझना म्शिकल है कि इसे अन्च्छेद 21 और उस मामले के लिए संविधान के अन्च्छेद 14 के साथ असंगत कैसे कहा जा सकता है। उच्च आयु सीमा का निर्धारण अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन नहीं करता है और चूंकि धारा 49 वर्गीकरण और श्रेणीकरण की अनुमति देती है जिसकी अनुमति अनुच्छेद 14 भी देता है, इसलिए नया जोड़ा गया नियम स्पष्ट रूप से अधिनियम और संविधान के अंतर्गत आता है। संक्षेप में, यह हमारे सामने लागू नियम के समर्थन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित बचाव है।

उपरोक्त कथनों से यह साफ है कि बार बाउंसिल आॅफ इंडिया की ओर से यह तर्क रहा है कि कानून का पेशा एक पवित्र और सम्मानजनक पेशा है, इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रशासन प्रणाली की सेवा करके मानव जाति की सेवा करना है। बार काउंसिल का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मियों की आमद को प्रतिबंधित करके अपनी सार्वजनिक छवि की रक्षा करे, जो केवल अतिरिक्त लाभ के लिए कानूनी पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति पेशे के ऊंचे आदर्शों से प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना होता है, जिसके लिए वे किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार रहते हैं, जिसका उन युवाओं के दिमाग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद इस पेशे में शामिल होते हैं। क्या इस तर्क पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा जा सकता है? यह छोटा सा प्रश्न है.

हमने इस फैसले के पहले भाग में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर संक्षेप में गौर किया है। अब हम संक्षेप में योजना का संकेत दे सकते हैं। इससे पहले कि हम ऐसा करें, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कानून का पेशा सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है और प्राचीन काल में किसी न किसी रूप में इसका अभ्यास किया जाता था। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद, कानून के अभ्यास के संबंध में कुछ नियम पेश किए गए। आजादी से पहले मुख्तार और वकील थे जिन्हें मुफस्सिल अदालतों में कानून का अभ्यास करने की अनुमित थी, भले ही उनमें से सभी कानून स्नातक नहीं थे। हालाँकि, धीरे-धीरे उन्हें ख़त्म होने दिया गया और उनकी

जगह प्लीडर्स ने ले ली, जो कानून की डिग्री हासिल करने के बाद, जिला स्तर पर अभ्यास करने की अनुमति दी गई।। जो लोग वकील के रूप में नामांकित थे, वे उच्च न्यायालय सहित किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में अभ्यास कर सकते थे। एक प्लीडर और एक वकील के बीच का अंतर केवल नामांकन के लिए ली जाने वाली फीस के कारण था। स्वतंत्रता के बाद, कानून आया जो कानूनी प्रेक्टिशनर से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम एक अखिल भारतीय बार बनाता है जिसमें कानूनी प्रेक्टिशनर का केवल एक वर्ग होता है, अर्थात् वकील, जिन्हें निश्चित रूप से वरिष्ठ वकील और अन्य वकील (धारा 16) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पेशे की नैतिकता और शिष्टाचार का सामान्य पर्यवेक्षण अधिनियम के तहत बनाई गई बार काउंसिल की जिम्मेदारी है और उन पर अपने सदस्यों को कदाचार के लिए दंडित करने का कर्तव्य सौंपा गया है। अधिनियम प्रत्येक राज्य के लिए एक बार काउंसिल के अस्तित्व की परिकल्पना करता है। व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश देने का कार्य प्रत्येक राज्य बार काउंसिल को सौंपा गया है, जिसे उस उद्देश्य के लिए एक रोल तैयार करना और बनाए रखना आवश्यक है। जबिक राज्य बार काउंसिल को अपने सदस्यों को कदाचार के लिए दंडित करने के लिए अनुशासनात्मक

क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है, साथ ही उन पर उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करने का कर्तव्य भी लगाया जाता है। उन्हें अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त सभी कार्य करने होंगे और धारा 6 में निर्धारित कार्यों का निर्वहन करने के लिए वह सब कुछ करना होगा जो आवश्यक है। जहां तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का संबंध है, इसके कार्य अधिक सामान्य प्रकृति के हैं। उदाहरण के लिए, अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना, उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना, राज्य बार काउंसिल के कामकाज की निगरानी और नियंत्रण करना, कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, कानूनी सहायता व्यवस्थित करना गरीबों के लिए और अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त अन्य सभी कार्यों को निष्पादित करना और धारा 7 में उल्लिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए वह सब कुछ करना आवश्यक है। उपरोक्त के अलावा पेशे के सदस्यों पर अनुशासन और नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। इस प्रकार कार्यों को राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच विभाजित किया गया है, हालांकि स्पष्ट कारणों से ओवरलैप अपरिहार्य हैं। नियम बनाने की शक्ति राज्य बार काउंसिल को धारा 15 और 28 के तहत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिनियम की धारा 49 के तहत प्रदान की गर्ड है।

धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्ति बार काउंसिल के सदस्यों, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उससे जुड़े मामले के चुनाव के लिए नियम बनाने की है। ये नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अन्मोदित नहीं होगा । हमें इस प्रावधान के तहत नियम बनाने की शक्ति से कोई सरोकार नहीं है। धारा 28 राज्य बार काउंसिल को ऐसे नियम बनाने का अधिकार देती है जो अन्य बातों के साथ-साथ उस फॉर्म का प्रावधान कर सकते हैं जिसमें एक वकील को राज्य बार काउंसिल के रोल में अपना नाम दर्ज करने के लिए अपना इरादा व्यक्त करना होगा, वह फॉर्म जिसमें एक आवेदन होना चाहिए अपने रोल पर एक वकील के रूप में प्रवेश के लिए बनाया गया और वे शर्तें जिनके अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे किसी भी रोल पर एक वकील के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। इन नियमों को लागू होने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। हमने पहले ही उन मामलों का संकेत दिया है जिनके संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बना सकता है। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा धारा 34 उच्च न्यायालयों को उन शर्तों को निर्धारित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है जिनके अधीन एक वकील को उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ अदालतों में अभ्यास करने की अनुमति दी जा सकती है। धारा 49-ए द्वारा

केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है, जिसमें किसी भी मामले के संबंध में वे नियम शामिल हैं जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति उन मामलों को अपनाने के लिए काफी व्यापक है जिनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य बार काउंसिल के पास नियम बनाने की शक्ति है। ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ. बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं निर्धारित कर सकते हैं. जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राज्य बार काउंसिलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना चाहिए,अधिनियम के तहत अधिवक्ता नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी , उन व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें धारा 24(1)(डी) के तहत निर्धारित प्रशिक्षण पाठयक्रम और परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जा सकती है, जिस तरीके से अधिवक्ताओं के बीच वरिष्ठता निर्धारित की जा सकती है, मामलों की स्नवाई के लिए बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया संक्षेप में, ये अधिनियम के तहत विभिन्न एजेंसियों को प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियाँ हैं।

नया जोड़ा गया नियम एक वकील के रूप में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा नामांकित होने से रोकना चाहता है। जबिक अधिनियम की धारा 24 नामांकन के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष निर्धारित करती है, अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसमें प्रवेश के लिए अधिकतम आयू निर्धारित की गई है, चूंकि एक्ट इस बिंद् पर चुप है बार काउंसिल ऑफ इंडिया चुप को अपनी नियम बनाने की शक्ति का सहारा लेना आवश्यक था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिनियम की धारा 49(1) के तहत बनाए गए नियम सात भागों में हैं, प्रत्येक भाग के अपने अध्याय हैं। भाग VI का शीर्षक 'अधिवक्ताओं को नियंत्रित करने वाले नियम' है और उक्त भाग में तीन अध्याय हैं। अध्याय । वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध निर्धारित करता है और अधिनियम की धारा 16(3) और 49(1)(जी) से संबंधित है. अध्याय ॥ पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और धारा 49(1)(सी) से संबंधित है। और अध्याय ॥ 'प्रैक्टिस करने के अधिकार के लिए शर्तों' से संबंधित है और इसे अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (एएच) के तहत शक्ति के प्रयोग में बनाया गया बताया गया है। वह खंड इस प्रकार है:

"(एएच) वे शर्तें जिनके अधीन एक वकील को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और वे परिस्थितियां जिनके तहत किसी व्यक्ति को अदालत में वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए समझा जाएगा;"

उक्त खंड की सरल भाषा में हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधान के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया 'शर्तें' निर्धारित कर सकती है जिसके अधीन 'एक वकील' को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। ये शर्तें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित कर सकती हैं, वे एक वकील पर लागू होती हैं, यानी, एक व्यक्ति जो पहले से ही संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा एक वकील के रूप में नामांकित किया गया है। जो शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, वे नामांकन के बाद के चरण में लागू होनी चाहिए क्योंकि उनसे अभ्यास करने के अधिकार से संबंधित होने की उम्मीद की जाती है। इसलिए, वे नामांकन-पूर्व चरण में काम नहीं कर सकते। विवादित नियम के तहत नामांकन के लिए आवेदन की तिथि पर 45 वर्ष पूरे कर चुके लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गयी है. नियम स्पष्ट रूप से नामांकन-पूर्व चरण पर लागू होता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 49(1) के खंड (एएच) का आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता है। उक्त खंड के तहत एक वकील के प्रैक्टिस करने के अधिकार को छूने वाली शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, और यदि निर्धारित की गई हैं तो

उसे उन शर्तों के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा। लेकिन उक्त खंड की भाषा पेशे में प्रवेश के लिए शर्तें निर्धारित करने की अनुमित नहीं देती है। इसलिए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि अधिनियम की धारा 49(1) का खंड (एएच) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 45 एक वकील के रूप में नामाकंन के समय 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने वाला नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए, विवादित नियम है. उक्त प्रावधान की अधिकारिता से बाहर है।

क्या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत नियम को बचाया जा सकता है? जैसा पहले कहा गया है कि अधिनियम की धारा 24(1)(बी) में प्रावधान है कि जो व्यक्ति वकील के रूप में नामांकन चाहता है, उसे इक्कीस वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। अधिनियम कहीं भी अधिकतम आयु प्रदान नहीं करता है जिसके बाद कोई व्यक्ति वकील के रूप में नामांकन का हकदार नहीं होगा और न ही अधिनियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस तरह का नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान करता है। हालाँकि, को धारा 49(1) के खंड (एजी) को आधार बनाया गया जो इस प्रकार है:

"(एजी) अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी।"

क्या 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को एक वर्ग या श्रेणी का गठन करने वाला कहा जा सकता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन्हें वकील के रूप में नामांकित होने से रोकने का अधिकार देता है? नियम 49(1) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिनियम के तहत और विशेष रूप से उसके खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। धारा 7 के तहत कोई भी कार्य विशेष रूप से ऐसी शर्त निर्धारित करने का प्रावधान नहीं करता है जो एक निश्चित आयु वर्ग के व्यक्तियों को वकील के रूप में नामांकन से रोक सके। जिस खंड पर भरोसा किया गया है वह सकारात्मक शब्दों में दिया गया है, अर्थात, यह कहता है कि नियम व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें कानूनी पेशे में भर्ती किया जा सकता है। इसलिए, इस नियम के तहत अधिवक्ताओं के रूप में 'नामांकित होने के हकदार' व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी निर्धारित की जा सकती है। इसलिए, नियम एक वकील के रूप में नामांकित होने के 'हकदार' व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को निर्दिष्ट कर सकता है, लेकिन नियम यह संकेत नहीं देता है कि यह एक निश्चित

आयु वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को वकील के रूप में नामांकित होने से रोक सकता है। जहां एक प्रावधान सकारात्मक भाषा में दिया गया है और एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है, वहां निर्माण का कोई सिद्धांत नहीं है जो कहता है कि आवश्यक निहितार्थ से नियम बनाने वाला प्राधिकारी पेशे में प्रवेश या नामांकन को अयोग्य बनाने वाला प्रावधान कर सकता है। इस तरह के समर्पण का सामना करना कठिन है।

लेकिन बड़े प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है और वह यह है कि क्या उक्त धारा एक निश्चित आयु वर्ग के व्यक्तियों पर लागू होती है। अधिनियम की धारा 28(1)(डी) राज्य बार काउंसिल को उन शर्तों को निर्धारित करने वाले नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है जिनके अधीन किसी व्यक्ति को वकील के रूप में भर्ती किया जा सकता है। अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को निर्दिष्ट करने की शक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धारा 49(1)(एजी) के तहत और केंद्र सरकार को धारा 49 ए के तहत प्रदान की गई है। राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 49 ए के तहत प्रदान की गई है। राज्य बार काउंसिल को धारा 28 के तहत जो भूमिका निभानी है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 49(1)(एजी) की भूमिका से भिन्न है जिसमें वर्ग या श्रेणी की पहचान होने के बाद, उन्हें स्वचालित रूप से प्रवेश या नामांकन नहीं मिलता है, राज्य सूची में प्रवेश के लिए आवश्यकताएँ

पूरी करना होती है।। इसलिए, किसी वर्ग या समूह को 'नामांकन का हकदार' घोषित किए

जाने के अलावा, किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए राज्य बार काउंसिल द्वारा विकसित अन्य शर्तों या मानदंडों को पूरा करना होगा।

ऐसा लगता है कि संसद ने अधिनियम बनाते समय राज्य स्तर के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में एजेंसियों का निर्माण किया और उन्हें कानूनी पेशे से संबंधित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां प्रदान कीं, संभवतः इसलिए क्योंकि यह महसूस किया होगा कि पेशे से संबंधित मामले को उक्त पेशे के सदस्यों से युक्त सूचित निकायों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। हालाँकि, ऐसा करते समय इसने बुनियादी महत्वपूर्ण मामलों का प्रावधान किया, जैसे, पेशे में प्रवेश के लिए पात्रता (धारा 24), नामांकन के लिए अयोग्यता (धारा २४ ए), प्रवेश देने का हकदार प्राधिकारी (धारा २५ और 26), वह प्राधिकारी जो किसी भी नाम को रोल (धारा 26 ए), आदि से हटा सकता है, और उन्हें स्टेट बार काउंसिल के डोमेन में रख सकता है। इस प्रकार यह राज्य बार काउंसिल है जिसे अकेले ही किसी आवेदक के नामांकन के प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए। धारा 24 के तहत एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कानून की डिग्री रखता है, वह एक वकील के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य हो जाता है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, बेशक अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे राज्य बार काउंसिल (धारा 24(1)(ई)) द्वारा बनाए

गए नियमों में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज है, उसे सर्वोच्च न्यायालय सिहत सभी न्यायालयों में, किसी भी न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसिलए, यह राज्य बार काउंसिल के विशेष अधिकार क्षेत्र में है कि वह अपने रोल में व्यक्तियों को वकील के रूप में स्वीकार करें या उनके नाम रोल से हटा दें। अध्याय ॥ में अधिवक्ताओं के प्रवेश और नामांकन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है जो अधिवक्ताओं के रूप में 45 वर्ष पूरे कर चुके लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता हो। न ही स्टेट बार काउंसिल ने अपने नियम निर्माण अधिकार के तहत ऐसा कोई नियम बनाया है।

अधिनियम की धारा 7 में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों को गिनाता हो और अधिकार देता हो कि वह अधिकतम आयु जिसके बाद पेशे में प्रवेश वर्जित होगा तय कर सके। इसीलिए बार काउंसिल की नियम बनाने की शिक्त पर भरोसा किया जाता है जो की धारा 49 में निहित है। यह धारा अधिनियम के तहत अधिकार देती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 'अपने कार्यों के निर्वहन के लिए' नियम बना सके, और, विशेष रूप से, ऐसे नियम अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्ति की श्रेणी या वर्ग निर्धारित कर सकता है। बार के कार्य धारा 7 में उल्लिखित ऐसे प्रावधान करने की परिकल्पना नहीं

की गई है जो योग्य व्यक्तियों को कानूनी क्षेत्र में प्रवेश के लिए अयोग्य ठहराने की शर्त पेशे में केवल इसलिए कि उन्होंने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। पर दूसरी ओर धारा 24ए जो दिनांक 31 जनवरी 1974 से 1973 के अधिनियम 60 की धारा 19 द्वारा लाई गई थी वह सीमित अवधि के लिए कानूनी पेशे में कुछ व्यक्तियों को अयोग्य घोषित प्रवेश में करने के लिए थी। आक्षेपित नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति भले ही योग्य हो लेकिन 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो एक वकील के रूप में नामांकन से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। अगर ऐसा होता यहां तक कि उन वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित करना संभव है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए एक मात्र नियम द्वारा धारा 24 ए में संदर्भित.वैधानिक संशोधन की आवश्यकता कहां थी? ऐसा संभवतः है क्योंकि इससे संबंधित मामलों में भी सीमित अवधि के लिए अयोग्यता थी नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर माना जाता है सार्वजनिक नीति का मामला. उस सब की व्याख्या को स्वीकार करना कठिन है 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग दायरे में एक वर्ग का गठन करते हैं बार काउंसिल को अन्मति देने के लिए अधिनियम की धारा 49(1) के खंड (एजी) का भारत इस पेशे में उनके प्रवेश पर हमेशा के लिए रोक लगाएगा। की आड़ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नियम बनाकर वस्तुतः एक अतिरिक्त नियम लागू कर रही है अधिनियम की धारा 24 में

कॉम की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करने वाला खंड-45 वर्ष की पूर्ण आयु जिसके बाद कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होगा एक वकील के रूप में नामांकन या अनुभाग में एक अतिरिक्त खंड सम्मिलित कर रहा है अधिनियम की धारा 24 ए अयोग्यता निर्धारित करती है। किसी भी बिंद् से देखा गया हमारा स्पष्ट मानना है कि नियम बनाने की शक्ति धारा के अधीन है अधिनियम की धारा 49(1) का (एजी) ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. हम उन सभी विचारों की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अन्यथा इसके पात्र हैं अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित एक वर्ग या श्रेणी का गठन करता है जिसे विच्छेदित किया जा सकता है- पेशे में प्रवेश करने से एकल ब्लॉक के रूप में योग्य। इसके अलावा, जैसा कि कहा गया है उपरोक्त खंड (एजी) किसी वर्ग या श्रेणी की पहचान और विशिष्टता व्यक्ति नामांकित होने के 'हकदार' हैं न कि नामांकित होने के 'हकदार' नहीं वकालत. इसलिए, हमारी राय है कि विवादित नियम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम बनाने की शक्ति से परे है और इसलिए, अधिनियम. की अधिकारिता से बाहर

अगला सवाल यह है कि क्या नियम उचित है या मनमाना और अनुचित है? नियम के लिए तर्कसंगत, जैसा कि पहले कहा गया है, विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त होने वालों को बाहर रखकर पेशे की गरिमा और शुद्धता बनाए रखना है क्योंकि वे वकील के रूप में नामांकित होने पर अपने पिछले संपर्कों का उपयोग प्रचार के लिए करते हैं। मामले और इस तरह पेशे को बदनाम करते हैं और पेशे में नए प्रवेश करने वाले युवा लोगों के दिमाग को भी प्रद्षित करते हैं। इस प्रकार नियम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए पेशे के दरवाजे बंद करना है जो 45 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेशे में प्रवेश चाहते हैं। सबसे पहले, इस अनुमान के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सांख्यिकीय या अन्य सामग्री नहीं रखी गई है कि पूर्व-सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी या उनके जैसे लोग पेशे में प्रवेश करने के बाद उल्लिखित प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में शामिल होते हैं। दूसरे, यह नियम केवल ऐसे व्यक्तियों को ही पेशे में प्रवेश से नहीं रोकता है, बल्कि वे लोग भी जिन्होंने नामांकन की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तीसरे, जो लोग युवावस्था में ही वकील के रूप में नामांकित हो गए थे और बाद में किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी या इसी तरह की संस्था में नौकरी कर ली थी और सनद को स्थगित कर दिया था, उन्हें 45 वर्ष पूरे करने के बाद भी अपनी सनद को पुनर्जीवित करने से नहीं रोका गया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने शुरू में इस पेशे में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में नौकरी कर ली या किसी अन्य लाभकारी व्यवसाय में प्रवेश कर लिया, जो 45 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी

बाद में प्रैक्टिस में लौट आए और लागू नियम के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते। अभ्यास करने से रोक दिया गया। इसलिए, सबसे पहले तो उस तर्क के समर्थन में कोई भरोसेमंद सामग्री नहीं है जिस पर नियम स्थापित किया गया है और दूसरे यह नियम भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह 45 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्तियों के एक समूह को नामांकन से वंचित करता है जबिक दूसरे समूह को अनुमित देता है कि 45 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी अभ्यास को पुनर्जीवित करें और जारी रखें। इसलिए, हमारे विचार में यह नियम स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। तीसरा, यह अन्चित और मनमाना है क्योंकि 45 वर्ष की आयु का चुनाव केवल एक निश्चित समूह को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें अन्य लोगों के विशाल बह्मत को नजरअंदाज किया गया है जो किसी भी समय सरकारी या अर्ध-सरकारी या समान संस्थानों की सेवा में थे। इस प्रकार, हमारे विचार में विवादित नियम संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

हम उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करने के बाद बड़े प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या नियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन करता है। इसलिए, हम उक्त प्रश्न पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, ये याचिकाएँ सफल हो जाती हैं। अध्याय 3 में डाला गया नया नियम 9 को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर और संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत माना जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त नियम को लागू न करें। काॅस्ट पर कोई आईर नहीं।

याचिकाएं मंजूर।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रोज़ी कंसारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।